फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री हेमराज **विपक्षी :– श्रीमती शांतादेवी**
किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 43/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प वीरधोलिया में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नहीं किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद की समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: आदेश :–** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पालवास कलां पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 768, 865/763, 866/767 किता 3 रकबा 1.1007 हेक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 08.02.2022 को पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें। निर्णय सुनाया गया। **(मयंक मनीष IAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 20:18:44 IST
Reason: SelfAttested